

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 580]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 4 नवम्बर 2010—कार्तिक 13, शक 1932

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर, 2010

क्र. डी-5-56-04-चौदह-3.—किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-5-56-04-चौदह-3, दिनांक 20 जुलाई 2010 से प्रदेश की 230 मण्डी समितियों का सामान्य निर्वाचन दिनांक 7 नवम्बर 2010 तक की कालावधि के लिए स्थगित किया गया है. वर्तमान में प्रदेश के किसानों का खरीफ फसल की कटाई, रबी फसल की बुवाई में व्यस्त होने एवं तुलैयों तथा हम्मालों के प्रतिनिधि का निर्वाचन कराने के लिये निर्वाचन नियम, 1997 में यथोचित संशोधन के कारण मण्डी समितियों के सामान्य निर्वाचन निर्धारित अवधि में कराया जाना संभव नहीं है.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा राज्य की मण्डी समितियों का साधारण निर्वाचन 8 नवम्बर 2010 से 7 मई 2011 तक की कालावधि के लिए स्थगित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विजय पंडित, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर, 2010

क्रमांक-डी-5-56-04-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 नवम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विजय पंडित, उपसचिव.

Bhopal, the 4th November 2010

No. D-5-56-04-XIV-3.—By Notification No. D-5-56-04-XIV-3, dated 20th July 2010 of the Government of Madhya Pradesh Farmer Welfare and Agriculture Development Department the State Government has postponed the General Election of 230 Market Committees till 7th November 2010. At present it is not possible to hold the election

---

within the stipulated time period due to farmers involvement in Kharif harvesting, Rabi sowing and amendment in Nirvachan Rules, 1997 for the election of Weighmen and Hammals member in Mandi Committee.

THEREFORE, in exercise of the powers conferred under Section 57-A of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (NO. 24 of 1973), the State Government hereby postpones the General Election of the Market Committees of the State from 8th November, 2010 till the period of 7th May 2011.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
VIJAY PANDIT, Dy. Secy.